रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 22, 2010/आश्विन 30, 1932
No. 589] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2010/ASVINA 30, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 853(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा काडर समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के पशु चिकित्सा काडर में समूह 'क' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा काडर समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड-III में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन पर नियुक्ति भी है, के लिए पात्र होंगे ।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी)	01* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय योधक)	वेतन बैंड– 4, 37400–67000 रू0 + ग्रेड वेतन 8700 रू0 + केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर विहित वेतनमान में वेतन बैंड + ग्रेड वेतन का पच्चीस प्रतिशत की दर से प्रैक्टिसबंदी भत्ता	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(7)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है तथा जिसने विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त की है। **टिप्पण 1.**— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2.— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी,—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड–3, 15600–39100 रू0 + ग्रेड वेतन 7600 रू0 में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है और समूह 'क' पद पर पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हता है, अर्थात्,—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में बैचलर डिग्री, और

(ii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकृत।

ऐसे विभागीय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है और समूह 'क' में कुल पंद्रह वर्ष सेवा की है या समूह 'क' और समूह 'ख' में बीस वर्ष सम्मिलित सेवा की है पर भी अन्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि उस पद पर उसका चयन हो जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणयता चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति/आमेलन के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्दीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहॉ एक से अनधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहॉ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास उपरोक्त **(क)** और **(ख)** में विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य 3. महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 4. निदेशक (चिकित्सा), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	01* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय योधक)	वेतन बैंड– 3, 15600–39100 रू0 + ग्रेड वेतन 7600 रू0 + केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर विहित वेतनमान में वेतन बैंड + ग्रेड वेतन का पच्चीस प्रतिशत की दर से प्रैक्टिसबंदी भत्ता	चयन	नहीं

(7)
लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है तथा जिसने विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त की है। **टिप्पण 1.**— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 2.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी,—

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं;

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड–3, 15600–39100 रू0 + ग्रेड वेतन 6600 रू0 में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हैं,—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में बैचलर डिग्री, और

(ii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकृत।

टिप्पण 1.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणयता चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति/आमेलन के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्दीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अनधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास उपरोक्त विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य 3. महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 4. निदेशक (चिकित्सा), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

4/21 GI/10 - 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	03* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय योधक)	वेतन बैंड– 3, 15600–39100 रू0 + ग्रेड वेतन 6600 रू0 + केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर विहित वेतनमान में वेतन बैंड + ग्रेड वेतन का पच्चीस प्रतिशत की दर से प्रैक्टिसबंदी भत्ता	चयन	नहीं

(7)
लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे सहायक शल्य चिकित्सक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है तथा जिसने विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त की है। **टिप्पण 1.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.**— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी,— (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हैं,— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में बैचलर डिग्री, और (ii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से रजिस्ट्रीकृत।

टिप्पण 1.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणयता चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति/आमेलन के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अनधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास उपरोक्त विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. निदेशक (चिकित्सा), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक शल्य चिकित्सक	08* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय योधक)	वेतन बैंड– 3, 15600–39100 रू0 + ग्रेड वेतन 5400 रू0 + केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर विहित वेतनमान में वेतन बैंड + ग्रेड वेतन का पच्चीस प्रतिशत की दर से प्रैक्टिसबंदी भत्ता	लागू नही होता	नहीं

(7)
35 वर्ष तक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में भी पाँच वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के कार्मिकों के लिए भी तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण.—** आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में बैचलर डिग्री। (ख) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से रजिस्ट्रीकृत। **शारीरिक मानक :** (i) ऊंचाई– 157.5 से.मी. (गोरखा, गढ़वाली, कुमांउनी, डोगरा, मराठा की बाबत 2 से.मी. और आदिवासी की बाबत 3 से.मी. तक शिथिल की जा सकती है) (ii) छाती– 77 से.मी. बिना फुलाए और 82 से.मी. फुलाने पर। (iii) वजन– ऊँचाई और आयु के अनुपात में। (iv) जिसका अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ है और जो किसी शारीरिक त्रुटि से मुक्त हो।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, और (ii) जिन्होंने ग्रेड वेतन 5400 रू0 के पद में पाँच वर्ष सेवा की है। (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव है।	लागू नहीं होता

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. निदेशक (चिकित्सा), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. I-12011/10/2009-संगठन]

एस. सी. शिवाजी राव, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2010

G.S.R. 853(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre (Group 'A') Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Veterinary Cadre in the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Bordet Police Force, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay Band, Grade Pay/Scale of Pay.**—The number of said posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Medical Manual Volume-III, shall be eligible for appointment including appointment on deputation/re-employment and promotion under the provisions of the rules.

7. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regards.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chief Veterinary Officer (Selection Grade)	01* 2010 *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial Combatised)	Pay Band-4, Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 8700 plus non-practicing allowance @ twenty five percent of the Basic Pay in the Pay Band plus Grade Pay prescribed by the Central Government from time to time	Not applicable	No

Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(10)	(11)
Not applicable	By promotion failing which by deputation or re-employment

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption is to be made

(12)

Promotion :

Chief Veterinary Officer with five years regular service in the grade and have qualified in pre-promotion course/courses conducted by department.

Note 1.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Note 2.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation :

Officers of the Central Government or State Government,—

(a) (i)holding analogous post on a regular basis; or

(ii) with five years regular service in Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs.7600 with fifteen years regular service in Group 'A' post, and

(b) possessing the following qualification namely,—

(i) bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognised university, and

(ii) registration with the Veterinary Council of India.

The departmental Chief Veterinary Officer with five years regular service in the grade with fifteen years total Group 'A' service or twenty years combined Group 'A' and Group 'B' service shall also be considered alongwith the outsiders. If he is selected for the post, the same shall be deemed to have filled up by promotion.

Note 1.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 3.— For the purpose of appointment on deputation/absorption basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

For Ex-Servicemen :

Deputation/Re-employment : The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having qualifications and experience prescribed in (a) and (b) above, shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment basis.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director General or Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member 3. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 4. Director (Medical), Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Chief Veterinary Officer	01* 2010 *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial Combatised)	Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 7600 plus non-practicing allowance @ twenty five percent of the Basic Pay in the Pay Band plus Grade Pay prescribed by the Central Government from time to time	Selection	No

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Not applicable	By promotion failing which by deputation or re-employment

(12)

Promotion:

Senior Veterinary Officer with five years regular service in the grade and have qualified in pre-promotion course/courses conducted by department.

Note 1.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Note 2.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers of the Central Government or State Government,—

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;
(ii) with five years regular service in Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay 6600, and

(b) possessing following qualifications,—
(i) bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognized University, and
(ii) registration with Veterinary Councils of India.

Note 1.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 4.— For the purpose of appointment on deputation/absorption basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

For Ex-Servicemen :

Deputation/Re-employment : The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having qualifications and experience prescribed above for deputationists shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment basis.

(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director General or Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member 3. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 4. Director (Medical), Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Senior Veterinary Officer	03* 2010 *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial Combatised)	Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600/- plus non-practicing allowance @ twenty five percent of the Basic Pay in the Pay Band and Grade Pay prescribed by the Central Government from time to time	Selection	No

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Not applicable	By promotion failing which by deputation or re-employment

(12)

Promotion:

Assistant Surgeon with five years regular service in the grade and have qualified in pre-promotion course/courses conducted by department.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation:

Officers of the Central Government or State Government,—

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;

(b) possessing following qualifications,—

(i) bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry, from a recognised University; and

(ii) registration with Veterinary Council of India.

Note 1.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 4.— For the purpose of appointment on deputation/absorption basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

For Ex-Servicemen:

Deputation/Re-employment : The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having qualifications and experience prescribed above for deputationists shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment basis.

(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director General or Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Director (Medical), Indo-Tibetan Border Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Surgeon	08* 2010 *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial Combatised)	Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 5400 plus non-practicing allowance @ twenty five percent of the Basic Pay in the Pay Band and Grade Pay prescribed by the Central Government from time to time	Not applicable	No

(7)	(8)	(9)
Up to 35 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Also relaxable upto five years in the case of Scheduled Caste/the Scheduled Tribe candidates and three years for Other Backward Classes and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) **Note.**– The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).	(A) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognised university. (B) registration with the Veterinary Council of India. **Physical Standard:** (i) Height- 157.5 cm (relaxable by 2 cms in respect of Gorkhas, Garwalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and by 3 cms in respect of Adivasis) (ii) Chest- 77 cms unexpanded and 82 cms expanded. (iii) Weight- proportionate to height and age. (iv) possessing good mental and sound health and free from any physical defect.	Not applicable.

(10)	(11)
Two years.	By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or being illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous post on regular basis, and (ii) with five years of service in post with grade pay of Rs. 5400. (b) Possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column- 8.

(12)		
Not applicable.		
(13)		(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee :-		Not applicable.
1. Director General or Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force	- Chairman	
2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force	- Member	
3. Director (Medical), Indo-Tibetan Border Police Force	- Member	
4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs	- Member	

[F. No. I-12011/10/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.